रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 651]	नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 17, 2018/भाद्र 26, 1940
No. 651]	NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 17, 2018/BHADRA 26, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 886(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण (कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1989, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण में कनिष्ठ अनुवादक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कनिष्ठ अनुवादक, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2018 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं आदि.—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कनिष्ठ अनुवादक	11* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतनमैट्रिक्स में स्तर - 6.	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अहर्ताएं
(6)	(7)
30 वर्ष से अनधिक **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	**आवश्यक** :— (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर के साथ अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर के साथ हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी अन्य विषय में स्नातकोत्तर के साथ हिन्दी माध्यम के रूप में और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी अन्य विषय में स्नातकोत्तर के साथ अंग्रेजी माध्यम के रूप में और हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी अन्य विषय में स्नातकोत्तर के साथ हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा डिग्री स्तर पर एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में। और (2) (क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या संगठन से हिन्दी से अंग्रेजी में एवं विपर्ययेन अनुवाद में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; (ख) केन्द्रीय या राज्य सरकार के कार्यालय, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी है, में हिन्दी से अंग्रेजी एवं विपर्ययेन अनुवाद कार्य में दो वर्षों का अनुभव हो। **टिप्पण -1:** अहर्ताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण-2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग

	की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा **टिप्पण:** पदधारी के प्रातिनियुक्ति पर या लंबी रूग्णता या अध्यनार्थ छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए होने वाली रिक्ति, केन्द्रीय सरकार के एसे अधिकारी से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी; (क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; और (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अहर्ताएं और अनुभव रखते है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह "ख" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** (क) निदेशक, भारतीय प्राणीविज्ञान सर्वेक्षण-, कोलकाता – अध्यक्ष; (ख) कार्यालय प्रमुख, भारतीय प्राणीविज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य; (ग) कार्यालय प्रमुख, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. 02/07/2014-सीएसजेड]

मंजु पाण्डे, संयुक्त सचिव (संरक्षण और सर्वेक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2018

G.S.R. 886(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Junior Hindi Translator, Group-C Post) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Junior Translator in the Zoological Survey of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

1. **Short title commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, Junior Translator, Group 'B', Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.—**The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Translator	11* (2018) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group – 'B', non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-6.	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not exceeding 30 years. **Note 1:** Relaxable for Government Servants up-to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed	**Essential:** (I) Master's Degree in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level from a recognized University; Or Master's Degree in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level from a recognized University ; Or Master's Degree in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of

for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).	examination at degree level from a recognized University; Or Master's Degree in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as compulsory or elective subjects or as the medium of a examination at degree level from a recognized University; Or Master's Degree in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level from a recognized University. And (II) (a) Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa from a recognized Institute or Organisation; (b) two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central or State Government office, including Government of India Undertaking. **Note 1:** Qualification(s) are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of the candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not Applicable.	2 years.	Direct Recruitment **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under Column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group B Departmental Confirmation Committee consisting of : 1. Director, ZSI, Kolkata - Chairman 2. The Head of Office, ZSI, Kolkata - Member. 3. The Head of Office, BSI, Kolkata - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 02/07/2014-CSZ]

MANJU PANDEY, Jt. Secy. (Conservation and Survey)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.09.22 11:55:35 +05'30'